23/1/24

पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थिनी द्वारा राजीनामा
के आधार पर मूल वाद का निस्तारण हो चुका
है। अतः इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः प्रार्थना पत्र
T.I. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
प्रा०प० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो
व दर्ज नम्बरान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.28 14:47:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़